261

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1770 /VII-1/16/80–ख/2016
देहरादून:दिनांक: 19 नवम्बर, 2016

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1756 /VII-1/16/80–ख/2016 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० खनन एवं परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सर्तकता इकाई, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
10. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
11. अपर सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/XXVI/XXI/2016–सी०एक्स० दिनांक 17 नवम्बर, 2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
12. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
13. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
19/11/16
(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1756/VII-1/16/80–ख/2016
देहरादूनः दिनांकः 13 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1561/VII-1/80–ख/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 11(ग) के पश्चात् निम्नवत् अतिरिक्त प्रावधान जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बिन्दु सं०–11 में अतिरिक्त प्रावधान :–

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में वर्तमान बिन्दु सं० 11(ग) के पश्चात् बिन्दु सं० 11(घ) का अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिया जायेगा अर्थात;

बिन्दु–11(घ) "जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा रेता, बजरी एवं बोल्डर चुगान के पट्टे हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिये निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) के आधार पर पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर ली गयी है, को आशय पत्र/पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष हेतु रेता, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु खनन पट्टा जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

परन्तुक ऐसे पट्टाधारकों द्वारा इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व से स्वीकृत चुगान पट्टों के पट्टाधारकों हेतु इस नीति में किये गये प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।"

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव